6

I

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां

मूल प्रकरण संख्या 09/01 — दायरा दिनांक 22/02/2001
प्रकरण संख्या 34/20 — पुनः दायरा दिनांक 27/10/2020

पीठासीन अधिकारी – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

1. रामजीलाल पुत्र जवाहरलाल जाति किराड निवासी धतूरिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
2. शिवचरण पुत्र जवाहरलाल जाति किराड निवासी धतूरिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
3. मोहनलाल पुत्र जवाहरलाल जाति किराड निवासी धतूरिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
4. कलावती पुत्री जवाहरलाल जाति किराड निवासी धतूरिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज.

– वादीगण

बनाम

1. श्रीलाल पुत्र भंवरलाल जाति किराड निवासी धतूरिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
   1/1.रघुवीर दयाल पुत्र स्व.श्रीलाल जाति किराड निवासी धतूरिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
   1/2.कालीचरण पुत्र स्व.श्रीलाल जाति किराड निवासी धतूरिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
   1/3.कैलाश पुत्र स्व.श्रीलाल जाति किराड निवासी धतूरिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
   1/4.रामवती पुत्र स्व.श्रीलाल जाति किराड निवासी धतूरिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
   1/5.घनश्याम पुत्र स्व. खेमचन्द पुत्र स्व. श्रीलाल जाति किराड निवासी धतूरिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
   1/6.मनोज पुत्र स्व. खेमचन्द पुत्र स्व. श्रीलाल जाति किराड निवासी धतूरिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
   1/7.चन्द्रमोहन पुत्र स्व. खेमचन्द पुत्र स्व. श्रीलाल जाति किराड निवासी धतूरिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
   1/8.कमलेश पुत्र स्व. खेमचन्द पुत्र स्व. श्रीलाल जाति किराड निवासी धतूरिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
   1/9.सुनिता पुत्री स्व. खेमचन्द पुत्र स्व. श्रीलाल जाति किराड निवासी धतूरिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
2. कमलीबाई बेवा अमरलाल जाति किराड निवासी धतूरिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
3. महाराजसिंह पुत्र अमरलाल जाति किराड निवासी धतूरिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:50:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

<u>अन्तिम निर्णय दिनांक– 21.11.2022</u>

उपस्थित – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट (वादीगण)
श्री चन्द्रमोहन वर्मा एडवोकेट (प्रतिवादीगण)

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण तथा प्रतिवादीकम 1,2,3 के संयुक्त खाते की आराजी ख.नं. 210 रकबा 22.10 बीघा, ख.नं. 213 रकबा 29.03 बीघा व ख.नं. 207/497 रकबा 19.07 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 71.00 बीघा ग्राम खैराई तहसील शाहाबाद में स्थित है। जिसमें वादी कम 1 ता 4 का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी कम 1 का 1/3 तथा प्रतिवादीकम 2 व 3 का 1/3 हिस्सा है। वादीगण आपसी बंटवारानुसार विवादित आराजी में अपने हिस्सा 1/3 पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण उक्त विवादित आराजी के कटता राज अदा करने एवं अन्य कार्यों में प्रतिवादी कम 1,2,3 टालमटूल करते हैं जिससे वादीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है एवं विवादित आराजी की सही सुरक्षा नहीं हो पाती है, इस कारण वादीगण अपने हिस्सा 1/3 को खाते से प्रथक कराना चाहते हैं। इस बावत वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा और दिनांक 02.03.2001 को प्रतिवादी 1,2,3 से विभाजन कराने को कहा तो उन्होने साफ इनकार कर दिया। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी हिस्सा 1/3 वादीगण का नाम संयुक्त खाते से प्रथक कर अलग से राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने की डिकी फरमावें। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 की ओर से जबावदावा मय काउन्टरक्लेम पेश किया गया, जिसमें दावे की सभी मदों को अस्वीकार करते हुये काउन्टरक्लेम पेश किया कि प्रतिवादी कम 1 श्रीलाल तथा चिन्टू पुत्र मूला काका–बाबा के भाई थे तथा रतनलाल के लडके अमरलाल जवाहरलाल काशीलाल प्रसादीलाल ग्राम खरवाया मध्यप्रदेश से संबत 2016 में प्रतिवादी कम 1 श्रीलाल तथा चिन्टू के साथ ग्राम खैराई तहसील शाहावाद में आये थे तथा सभी ने शामलाती जमीन नोतोड की थी, जिसमें श्रीलाल व चिन्टू का 1/2 हिस्सा तथा अमरलाल जवाहरलाल काशीलाल व प्रसादी का 1/2 हिस्सा था, एक वर्ष बाद चिन्टू अपने हिस्से की जमीन श्रीलाल का संभला कर खरवाया चला गया, जहां श्रीलाल ने खरवाया की अपने हिस्से की जमीन खैराई की जमीन के एवज में चिन्टू को संभला दी, इस प्रकार श्रीलाल के पास खैराई की नोतोड जमीन में 1/2 हिस्सा रहा जो श्रीलाल के खाते दर्ज हो गया उसी समय श्रीलाल ने अमरलाल जवाहरलाल काशीलाल व प्रसादीलाल से अपना हिस्सा 1/2 पृथक से बंटबारा कर काश्त करने लग गये जो कि आज तक काबिज काश्त है। वादी के मन में बदनियती इस आधार पर आई है, चूंकि राजस्व रिकार्ड में सम्वत 2028 से खातेदारान का हिस्सा बटा नम्बर में अंकित नहीं किया गया जबकि पूर्व के राजस्व रिकार्ड [illegible] श्रीलाल का हिस्सा 1/2 अंकित है। प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में [illegible] पर एवं पूर्व राजस्व रिकार्ड में अपना 1/2 हिस्सा दर्ज होने के आधार पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की व अंकित करवाने का अधिकारी व नालिशी है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे और वहक प्रतिवादीकम 1 डिकी पारित की जावे कि विवादित आराजी में प्रतिवादीकम 1 का 1/2 हिस्सा पृथक से रिकार्ड में अंकित किया जावे तथा वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:50:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

पाबन्द किया जावे। वादीगण ने जबावुल जबाव पेश कर काउन्टरक्लेम को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

ततपश्चात प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष की साक्ष्य लिये जाने के उपरान्त दिनांक 31.05.2004 को वादीगण व प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का अनुतोष पाने के हकदार नहीं होने से वाद वादीगण तथा प्रतिवादीक्रम 1 का काउन्टरक्लेम खारिज किया गया। इस न्यायालय के निर्णय/डिक्री दिनांक 31.05.2004 के विरूद्व वादीगण तथा प्रतिवादीगण दोनों पक्षों के द्वारा अपील संख्या 256/2004 व 189/2005 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम माननीय अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई। माननीय अपील न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों को समेकित सुनवाई कर दिनांक 26.07.08 को दोनों अपील स्वीकार करते हुये इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2005 निरस्त की जाकर विवादित आराजी में अपीलाण्ट का 1/4 तथा रेसपो. नं. 2 व 3 का 1/4 वाहिस्सा बराबर तथा रेस्पो. नं. 1 का 1/2 हिस्सा घोषित करते हुये तदानुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाकर हस्वकायदा अंतिम डिक्री की कार्यवाही हेतु प्रकरण इस न्यायालय को भेजा गया। परन्तु प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तलब कर अंतिम डिक्री पारित किये जाने के पूर्व ही पत्रावली दाखिल दफतर हो गई, जिसे प्रतिवादीक्रम 1 के वारिसान 1/1 लगायत 1/9 के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र पर रिकार्ड से पत्रावली मंगाई गई और माननीय अपील न्यायालय के निर्णय/डिक्री दिनांक 26.07.2008 की पालना में तहसीलदार शाहाबाद से नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी ग्राम खैराई तहसील शाहाबाद के ख.नं. 210 रकबा 22.10 बीघा में से मृतक प्रतिवादीक्रम 1 श्रीलाल के वारिसान प्रतिवादीक्रम 1/1 लगायत 1/9 का हिस्सा 1/2 दक्षिणी एवं शेष उत्तरी हिस्सा 1/2 में से पूर्वी तरफ का हिस्सा 1/4 वादीगण व पश्चिमी तरफ का हिस्सा 1/4 प्रतिवादीक्रम 3 का निर्धारित किया गया है, इसी प्रकार आराजी ख.नं. 213 रकबा 29.03 बीघा में से मृतक प्रतिवादीक्रम 1 श्रीलाल के वारिसान प्रतिवादीक्रम 1/1 लगायत 1/9 का हिस्सा 1/2 उत्तरी तथा मध्य में हिस्सा 1/4 वादीगण का व दक्षिणी हिस्सा 1/4 प्रतिवादीक्रम 3 का निर्धारित किया गया है और आराजी ख.नं. 207/497 रकबा 19.07 बीघा में से मृतक प्रतिवादीक्रम 1 श्रीलाल के वारिसान प्रतिवादीक्रम 1/1 लगायत 1/9 का हिस्सा 1/2 पश्चिमी तथा शेष पूर्वी हिस्सा 1/2 में से उत्तरी तरफ का हिस्सा 1/4 वादीगण व दक्षिणी तरफ का हिस्सा 1/4 प्रतिवादीक्रम 3 का निर्धारित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

–: आदेश :–

अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी ग्राम खैराई तहसील शाहाबाद स्थित आराजी ख.नं. 210 रकबा 22.10 बीघा में से मृतक प्रतिवादीक्रम 1 श्रीलाल के वारिसान प्रतिवादीक्रम 1/1 लगायत 1/9 का हिस्सा 1/2 दक्षिणी एवं शेष उत्तरी हिस्सा 1/2 में से पूर्वी तरफ का हिस्सा 1/4 वादीगण व पश्चिमी तरफ का हिस्सा 1/4 प्रतिवादीक्रम 3 का, इसी प्रकार विवादित आराजी ख.नं. 213 रकबा 29.03 बीघा में से मृतक प्रतिवादीक्रम 1 श्रीलाल के वारिसान प्रतिवादीक्रम 1/1 लगायत 1/9 का हिस्सा 1/2 उत्तरी तथा मध्य हिस्सा 1/4 वादीगण का व दक्षिणी हिस्सा 1/4 प्रतिवादीक्रम 3 का और विवादित आराजी ख.नं. 207/497 रकबा 19.07 बीघा में से मृतक प्रतिवादीक्रम 1 श्रीलाल के वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:50:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीक्रम 1/1 लगायत 1/9 का हिस्सा 1/2 पश्चिमी तथा शेष पूर्वी हिस्सा 1/2 में से उत्तरी तरफ का हिस्सा 1/4 वादीगण व दक्षिणी तरफ का हिस्सा 1/4 प्रतिवादीक्रम 3 का निर्धारित किया जाता है, इसी अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादीगण के हिस्से प्रथक प्रथक खाता दर्ज किये जावें और इसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। तदानुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:50:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner